

कार्यालय

जिलाधिकारी

पत्रांक: ५१२ /न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2021

बुलन्दशहर ।

दिनांक: 11-02-2021

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि गृह(गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या 2360/2020-सी0एक्स-3 दिनांक 26 नवम्बर, 2020 के द्वारा कन्टेनमेंट जोन की सीमा/परिधि निम्नवत् निर्धारित करते हुये गृह (गोपन), अनुभाग-3 उ0प्र0शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 2127/2020-सी0एक्स-3 दिनांक 03.10.2020 इस सीमा तक ही संशोधित किया गया है। शेष दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे।

- (1) कोरोना पॉजिटिव का सिंगल केस पाये जाने पर 50 मीटर की परिधि में कन्टेनमेंट जोन होगा।

(2) एक से अधिक केस पाये जाने पर, कलस्टर की स्थिति में, कन्टेनमेंट जोन का दायरा 100 मीटर की परिधि का होगा।

(3) यदि एक ही आवास में एक से अधिक संक्रिय केस पाये जाये तो उस दशा में उसे सिंगल केस मानकर ही कन्टेनमेंट जोन निर्धारित किया जाये।

गृह (गोपन), अनुभाग-3 के आदेश संख्या 2358/2020/सीएक्स-3 दिनांक 30 नवम्बर, 2020 के अनुसार कन्टेनमेंट जोन के अन्दर निम्न कार्यवाहियों अनिवार्यतः की जाए-

- (a) केवल अति आवश्यक गतिविधियाँ ही अनुमन्य की जाए।

(b) कन्टेनर्मेंट जोन के भीतर एवं बाहर चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं तथा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु सख्त मानक अपनाये जाए।

(c) इस उद्देश्य हेतु गठित सर्विलान्स टीम द्वारा प्रत्येक मकान (House to house) की सघन निगरानी की जाय।

(d) निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 की टेस्टिंग की जाए।

(e) कोविड-19 पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूची (कान्फ्रैक्ट ट्रैसिंग) तैयार की जाए तथा इनके चिन्हाकांक्ष, ट्रैसिंग, क्वारेन्टाईन तथा 14 दिनों तक निरन्तर अनुश्रवण की कार्यवाही की जानी चाहिये (यथा सम्भव पॉजिटिव पाये जाने के 72 घण्टे की भीतर ही 80 प्रतिशत सम्पर्क चिन्हित कर लिये जाए)।

(f) कोविड-19 मरीजों को तत्काल आईसोलेशन (यदि वो होम आइसोलेशन की शर्त पूर्ण करते हैं तो होम आइसोलेशन) करते हुये चिकित्सकीय उपचार प्रारम्भ कर दिया जाए।

(g) आवश्कतानुसार हॉस्पिटल में भर्ती कर उपचार किया जाए तथा उपचार की शतत निगरानी रखी जाए।

(h) आई०एल०आई / एस०ए०आर०आई० के प्रकरण में निरन्तर निगरानी रखते हुये स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाए। बफर जोन में फीवर क्लीनिक अथवा मौबाईल चिकित्सा यूनिट को सक्रीय किये जाने पर विचार किया जाए।

(i) कोविड-19 से संबंधित अनुमन्य गतिविधियों (आचरण) (Appropriate behaviour) के विषय में आम सम्दाय को निरन्तर जागरूक किया जाए।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एलआई.यू.सी-34/2021 दिनांक 11-02-2021 में अवगत कराया गया है कि "प्रदेश एवं देश में कोरोना संकमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टैण्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मारक न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संकमण फैलने की सम्भावना बनी रहती है।"

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 27 हॉट स्पॉट चिह्नित कर सील किये गये हैं, जिनमें 06-मौ0 कोठियात राजे बाबू रोड, लक्ष्मी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 कृष्ण नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 देवीपुरा प्रथम, चार खम्बा रोड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, इंदिरा नगर भूड़, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, मौ0 सरायधारी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 भूड़, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 21 हॉटस्पाट-एन0ए0पी0एस0 टाउनशिप नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, सीआईएसएफ कालौनी नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, ग्राम तिलबेगमपुर, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम हीरापुर, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम कोलसेना, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम परवाना, वि0ख0 जहांगीराबाद, तहसील स्याना, ग्राम पौण्डरी, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, मौ0 लोधान, करबा जहांगीराबाद, तहसील अनूपशहर, मौ0 जटियान, करबा जहांगीराबाद, तहसील अनूपशहर, ग्राम टिटौटा उर्फ वीरगाँव, वि0ख0 जहांगीराबाद, तहसील स्याना, ग्राम सिहाली झाया, वि0ख0 जहांगीराबाद, तहसील स्याना, ग्राम भमरौली, वि0ख0 जहांगीराबाद, तहसील स्याना, ग्राम पाली परतापुर, वि0ख0 जहांगीराबाद, तहसील स्याना, ग्राम कुरैना, वि0ख0 जहांगीराबाद, तहसील स्याना, श्यामलाल छात्रावास के पास, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, मौ0 अजीजाबाद, नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम बनैल, वि0ख0 पहासू, तहसील शिकारपुर, ग्राम अख्तियारपुर, वि0ख0 अगौता, तहसील बुलन्दशहर, मौ0 नन्दपुरी, नगरीय क्षेत्र स्याना, फायर स्टेशन वाली गली, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम ककरिया खेड़ा माजरा पतरामपुर वि0ख0 व तहसील अनूपशहर बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 11-02-2021 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-6238 है, 382 व्यक्ति होम क्वारेनटाईन में हैं। जनपद में 93 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में यदि वादकारियों के रूप में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे तो माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में सक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

गोपनीय
एवांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर
दिनांक-फरवरी ११, 2021

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर।

कृपया अवगत कराना है कि प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टेंडों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लागाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।



प्रभारी निरीक्षक
स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर